सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0
अपील प्रकरण सं0 83/2015

1. गीतादेवी पुत्री पन्नाराम पत्नी हरीराम जाति बावंरी निवासी सतजंडा तहसील रायसिहनगर व जिला श्रीगंगानगर
2. सोनकी देवी पुत्री पन्नाराम पत्नी रामकरण जाति बावंरी निवासी 1 एन.जैड. पी.डी. तहसील रायसिहनगर व जिला श्रीगंगानगर
3. फातली पुत्री पन्नाराम पत्नी रामाराम जाति बावंरी निवासी 3 एन.जैड.पी.डी. तहसील रायसिहनगर व जिला श्रीगंगानगर
4. मनफूल राम दत्तक पुत्र स्व0 रूखडी पुत्री पन्नाराम पत्नी रामचन्द जाति बावंरी निवासी 1 एन.जैड.पी.डी. तहसील रायसिहनगर व जिला श्रीगंगानगर
5. सुगनादेवी पुत्री स्व0 रूखडी पुत्री पन्नाराम पत्नी रामचन्द जाति बावंरी निवासी 1 एन.जैड.पी.डी. तहसील रायसिहनगर व जिला श्रीगंगानगर
6. मितोदेवी पुत्री स्व0 रूखडी देवी पुत्री पन्नाराम पत्नी रामचन्द जाति बावंरी निवासी सतजंडा तहसील रायसिहनगर व जिला श्रीगंगानगर

अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसील रायसिंहनर
2. जोगेन्द्र सिंह पुत्र रामदास जाति रामदासिया निवासी –3 एन.जैड.पी.डी. तहसील रायसिंहनगर
3. सोहनलाल पुत्र राजू जाति रामदासिया निवासी 1 एस.ए.एस.डी. ढाणी तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :

1.श्री सुभाष मिढा, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2.विकम बिश्नोई
3.राजकीय अधिवक्ता

आदेश **दिनांक :–09.01.2018**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार रायसिंहनगर दिनांक 30.09.2014 जो कि इन्तकाल नम्बर 520/12.09.2014 की पुश्त पर अंकित किया है गलत खिलाफ कानून, खिलाफ वाक्यातत होने से निरस्तनीय है। आदेश जेर अपील दिनांक 30.09.2014 पारित करने से पूर्व ना तो अपीलान्ट को कोई नोटिस दिया ना ही मिला ना ही बुलाया तथा ना ही सुना गया यहां तक कि इंतकाल की पुश्त पर जो आदेश दर्ज किया गया है उसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 2–3 के पिता के नाम जाति पूरा पता तक दर्ज नहीं किया गया है। अतः आदेश स्पष्ट मे गलत है न्याय के प्राकृतिक सिद्वातों की कतई कोई पालना नहीं हुई, जबकि अपीलान्टस इस आदेश से पूरी तरह प्रभावित थे, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय राजस्व मण्डलन ने अपने विभिन्न न्याय निर्णयों में यही सिद्वांत प्रतिपादित किया गया है कि प्रभावित को बिना सुने पारित किया गया आदेश हर प्रकार से

निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कानूनी प्रकिया अपनाये ही आदेश जेर अपील पारित किया है, जैसा कि आदेश के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है क्योंकि इसमें यह कही अंकित नहीं किया है कि रेस्पोडेन्ट 2,3 के ऐतराज पर कब अपीलांन्टस को कोई नोटिस जारी किया गया कब उन पर तामील हुई कब किसी समाचार पत्र में आपति सूचना प्रकाशित करवायी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने ही आदेश दिनांक 12.09.2014 पर स्वयं ही पुनर्विचार करने का लिखा गयाहै जबकि अधीनस्थ न्यायालय को अपने ही आदेश पर रिव्यू करने का कानूनन कोई अधिकार नहीं था। इन्तकाल संख्या 520/12.09.2014 स्वीकृत हो गया तो उसके खिलाफ केवल मात्र माननीय न्यायालय को ही इंतकाल को निरस्त करने, इंतकाल की वैद्यता को देखने का अधिकार था ऐसा अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को कतई नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो आदेश जेर अपील पारित करने पूर्व इंतकाल नियमों की पालना की गई ना ही लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स के आदेशात्मक प्रावधानो की पालना की गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के निर्णय व डिक्री तथा आदेशों की भी जानबूझकर अवहेलना की है जबकि इंतकाल नम्बर 520/12.09.2014 आदेशा तहसीलदार कमांक 165/22–26.08.2014 के आधार पर पारित किया गया तथा यह आदेश आज तक किसी सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं किया गया। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश जेर अपील निरस्त करने का आदेश फरमाया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलांट बहस सुनी गई। अधिवक्त अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि आदेश जेर अपील दिनांक 30.09.2014 पारित करने से पूर्व ना तो अपीलान्ट को कोई नोटिस दिया ना ही मिला ना ही बुलाया तथा ना ही सुना गया यहां तक कि इंतकाल की पुश्त पर जो आदेश दर्ज किया गया है उसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 2–3 के पिता के नाम जाति पूरा पता तक दर्ज नहीं किया गया है। अतः आदेश स्पष्ट ही गलत है। न्याय के प्राकृतिक सिद्वातों की कतई कोई पालना नहीं हुई, जबकि अपीलान्टस इस आदेश से पूरी तरह प्रभावित थे, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय राजस्व मण्डलन ने अपने विभिन्न न्याय निर्णयों में यही सिद्वांत प्रतिपादित किया गया है कि प्रभावित को बिना सुने पारित किया गया आदेश हर प्रकार से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कानूनी प्रकिया अपनाये ही आदेश जेर अपील पारित किया है, जैसा कि आदेश के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है क्योंकि इसमें यह कही अंकित नहीं किया है कि रेस्पोडेन्ट 2,3 के ऐतराज पर कब अपीलांन्टस को कोई नोटिस जारी किया गया कब उन पर तामील हुई कब किसी समाचार पत्र में आपति सूचना प्रकाशित करवायी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने ही आदेश दिनांक 12.09.2014 पर स्वयं ही पुनर्विचार करने का लिखा गयाहै जबकि अधीनस्थ न्यायालय को अपने ही आदेश पर रिव्यू करने का कानूनन कोई अधिकार नहीं था। इन्तकाल संख्या 520/12.09.2014 स्वीकृत हो गया तो उसके खिलाफ केवल मात्र माननीय न्यायालय को ही इंतकाल को निरस्त करने, इंतकाल की वैद्यता को देखने का अधिकार था ऐसा अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को कतई नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो आदेश जेर अपील पारित करने पूर्व इंतकाल नियमों की पालना की गई ना ही लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स के आदेशात्मक प्रावधानो की पालना की गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के निर्णय व डिक्री तथा आदेशों की भी जानबूझकर अवहेलना की है जबकि इंतकाल नम्बर 520/12.09.2014 आदेशा तहसीलदार कमांक 165/22–26.08.2014 के आधार पर पारित

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

किया गया तथा यह आदेश आज तक किसी सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं किया गया। अतः अपील स्वीकार फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की बहस सुनी गई। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार रायसिंहनगर के आदेश दिनांक 12.09.2014 की पालना में इन्तकाल संख्या 520/30.09.2014 दर्ज किया गया है वह सही है क्योंकि अपीलान्टस के पूर्वज सोनाराम पुत्र पन्नाराम ने उक्त रकबा जरिये ईकरारनामा बेचान कर दिया था। जिसे माननीय अपर जिला न्यायधीश रायसिंहनगर ने अपने निर्णय दिनांक 01.06.2015 से सही मानते हुए डिक्री किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में गहनता से अवलोकन किया तो पाया कि अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 520/30.09.2014 ग्राम एस.ए.डी. तहसील रायसिंहनगर अपीलार्थी संख्या 1,2,3 तथा अपीलार्थी संख्या 4 से 6 की माता रूखडी के नाम खातेदारी अधिकार देते हुए भरा जाकर तस्दीक किया गया है, जिसमें अंकित भूमि इनके पूर्वज सोनाराम पुत्र पन्नाराम के नाम गैरखातेदारी थी जो जरिये डिक्री मुकदमा नम्बर 93/95 उपजिलाधीश रायसिंहनगर के निर्णय दिनांक 16.01.1998 के फलस्वरूप होना जाहिर है। यह नामांतरकरण दिनांक 12.09.2014 को तस्दीक होने के पश्चात् जरिये रिव्यू दिनांक 30.09.2014 को खारिज कर दिया गया क्योंकि रकबा गैरखातेदारी होते हुए अन्य को जरिये इकरारनामा बेचान कर देने से राज0 उपनिवेनशन अधि. 1954 की धारा 13ए के विरूद्व था एवं उसका विधिवत नियमन नहीं हुआ था। प्रकरण से संबंधित मा0 अपर जिला न्यायाधीश रायसिंहनगर के वाद संख्या 108/97 व 5/98 कमशः जोगेन्द्र राम बनाम सोनाराम तथा सोहनलाल बनाम सोनाराम में पारित डिक्री दिनांक 01.06.2005 में अपीलार्थीगण के पूर्वज सोनाराम द्वारा किये गए इकरारनामे को जरिये राजीनामा विवादित रकबा प.न. 199/352 मु.न. 60 के 25.00 बीघा में से किला नम्बर 11 को छोड शेष 24.00 बीघा का बैयनामा तथा प.न. 200/352 मु.न. 59 के 25.00 बीघा व प.न. 199/352 के मु.न. 60 के किला नम्बर 11 के 1.00 बीघा कुल 26.00 बीघा का विकय विलेख पत्र केतागण के पक्ष में मान्य किया गया। यह निर्णय अपीलाधीन नामांतरकरण तस्दीक करने से लगभग 9 वर्ष पूर्व प्रभाव में आ चुका था इसलिए अपीलार्थीगण का यह कथन कि उन्हें अपीलाधीन नामांतरकरण पर किए गये आदेश दिनांक 30.09.2014 के सम्बन्ध में सुनवाई का अवसर नहीं दिया, मायने नहीं रखता है। विवादित रकबा विवादित नामांतरकरण को खारिज करने के निर्णय के समय गैरखातेदार सोनाराम द्वारा हस्तांतरित कर दिया गया था और अपीलार्थीगण के पक्ष में खातेदारी अधिकारों की घोषणा की पालना में तथा मा0 अपर जिला न्यायाधीश के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में तथा रिव्यू के तहत किये गये निर्णय के आलोक में प्रकरण में विधि की दृष्टि से अपीलाधीन निर्णय सही है। इसमें किसी भी प्रकार की दखलंदाजी की आवश्यकता नहीं है। लिहाजा अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 09.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9/1/18

(नखतदान बारहठ)
अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।